

# झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

डब्लू. पी. (सी.) सं. 05/2017

कार्तिक स्वर्णकार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

.... उत्तरदाता

**कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर**

याचिकाकर्ता के लिए: श्री राजेंद्र प्रसाद

राज्य के लिए: ए.ए.जी. के.जे.सी.

02/13.11.2017 वर्तमान रिट याचिका भूमि सुधार डिप्टी कलेक्टर, देवघर को किराया निर्धारण केस नंबर 16/2016 का निपटान करने के लिए एक निर्देश के लिए दायर की गई है, जो याचिकाकर्ता के अनुसार 2016 से लंबित है।

श्री अभय प्रकाश, ए.ए.जी. के विद्वान जे.सी., जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक की ओर से दायर काउंटर एफिडेविट के पैरा 11 का उल्लेख करते हुए यह प्रस्तुत करते हैं कि रेंट फिक्सेशन केस नंबर 16/2015-16 को भूमि सुधार डिप्टी कलेक्टर, देवघर ने दिनांक 22.02.2017 के आदेश द्वारा पहले ही निस्तारित कर दिया है।

इस तथ्य के मद्देनजर कि रेंट फिक्सेशन केस नंबर 16/2015-16 को पहले ही 22.02.2017 के आदेश द्वारा निस्तारण कर दिया गया है, वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना निष्फल हो गई है।

वर्तमान रिट याचिका, तदनुसार निष्फल के रूप में निपटाया जाता है।

(राजेश शंकर, जे)

सतीश/-